

<p>than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less. and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Medical Education department in Directorate General of Health Services</p> <p style="text-align: right;">-Member:</p> <p>4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital</p> <p style="text-align: right;">-Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:</p> <p>1. Vice Principal, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital</p> <p style="text-align: right;">-Chairman :</p> <p>2. Assistant Director General (ME), Directorate General of Health Services</p> <p style="text-align: right;">-Member:</p> <p>3. Deputy Director in-charge of Medical Education department in Directorate General of Health Services</p> <p style="text-align: right;">-Member;</p> <p>4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital</p> <p style="text-align: right;">-Member.</p>	
---	--	--

[F. No. A-11018/01/2001-RR(PT)]

GANESH KUMAR. Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

सा.का.नि. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (मुख्य सफाई अधीक्षक) समूह 'ग' भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें एमि अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य सफाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफाई अधीक्षक भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों में उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू म्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या ममीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य सफाई अधीक्षक	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अतनुमचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक मंविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऐसे सफाई अधीक्षक में से प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 5(रू. 29200-92300) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनमें ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक मंविदा भी है):</p> <p>(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी:</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; 2. संबद्ध विभागाध्यक्ष, सफाई विभाग, डॉ. राम मनोहर अस्पताल - सदस्य; 3. उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, डॉ. 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

	<p>राम मनोहर वीरिषा असमनान</p> <p>- अध्यक्ष;</p> <p>2 संवत्स विभागध्यक्ष, मफाई विभाग, डॉ. राम मनोहर असमनान</p> <p>- सदस्य;</p> <p>3. उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा परीनिदेशालय</p> <p>- सदस्य।</p>	<p>(क) (1) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर मर्दाना पर धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(2) विदेशी मूल कांडर या विभाग में वेतन सैंडिक्स में स्तर-5(क) 29200-92300) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छठे वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता हो:</p> <p>(क) (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में किसी विषय विशेष में बैचलर डिग्री;</p> <p>(2) मफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या मफाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा; या</p> <p>(ख) (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) मफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा; या</p> <p>(3) मफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा; या</p> <p>(4) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में मफाई कार्य की देखभाल की दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण-1: पापक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रायोजित की श्रेणी पंक्ति में हैं, प्रतिनिधिक पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनिधिक व्यक्ति प्रायोजित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण-2: प्रतिनिधिक की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उभरी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले शामिल किया गया अन्य कांडर-बोर्ड पर पर प्रतिनिधिक की अवधि है, धारण/प्रवर्ग की अवधि से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-3: प्रतिनिधिक द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छठपन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

New Delhi, the 6th June, 2022

G.S.R. 83.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Chief Sanitary Superintendent) Group 'C' Recruitment Rules 1995 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Sanitary Superintendent in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Chief Sanitary Superintendent Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or Non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Sanitary Superintendent	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the Pay Matrix (Rs. 35400-112400)	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for promotees	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p>Promotion:</p> <p>Sanitary Superintendent of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital with six years of regular service in level-5 of the pay matrix (Rs.29200-92300).</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service, or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):-</p> <p>(I) Officers under the Central or State Government or Union territories or autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertaking or University or recognized Research Institution.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis level - 5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department;</p> <p>And</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(a) (i) Bachelor degree in any discipline from any recognized</p>

		<p>university/institute.</p> <p>Diploma in Sanitary Inspector or Diploma in Health Inspector or Diploma in Sanitary Health Inspector.</p> <p>Or</p> <p>(b) (i) 12th class pass or equivalent from a recognized board/institute.</p> <p>(ii) Diploma in sanitary inspector or Diploma in health inspector or Diploma in sanitary health inspector</p> <p>(iii) 2 years' experience in dealing with sanitation works in any recognized organization.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note - 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman:</p> <p>2. Head of the Sanitary Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member:</p>	Consultation with the Union Public Services Commission is not necessary.

3. Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman; 2. Head of the sanitary department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; 3. Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member.	
---	--

[F. No. A-11018/30/2003 RR (MH II) Pt I]

GANESH KUMAR, Under Secy.